The Research Dialogue
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-2, July-2023
www.theresearchdialogue.com

उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा का विकास

संध्या यादव

रिसर्च स्कॉलर

जे. एस. यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद

ईमेल - Sandhya28486@gmail.com

मोबाइल नंबर-7985418946

सारांश :-

शिक्षा ही मानव जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम एवं गहन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जब हम उच्चतम दृष्टिकोण से जानने समझने एवं मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही मनुष्य अपने व्यवसाय या उद्योग का सरलतम मार्ग चयन करने में एवं सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सफल हो पाता है क्योंकि किसी भी देश की प्रगति का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण आधार उच्च शिक्षा ही है कुछ शिक्षा ही मानव को अपने मूल्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाने एवं भावी जीवन को सुदृढ़ मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य कर सकता है तभी शिक्षा का सही मूल्यांकन किया जा सकता है और देश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है उच्च शिक्षा की अंतिम सीढ़ी है और इसके बाद कोई शिक्षा से नहीं रह जाती उच्च शिक्षा के बाद ही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक रूप में प्रवेश करता है वही जीवन के विकास को एक आधा प्रदान करती है यह माना जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के उपरांत ही उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता है जिसका आयोजन महाविद्यालयों विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में किया जाता है इस दृष्टिकोण संस्थाओं को रखा जा सकता है जिसका से अधिक विकसित है उच्च शिक्षा का स्वरूप जो आज हमारे सामने हैं उसमें उच्चता का तात्पर्य माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा से होता है उच्च शिक्षा की परिकल्पना भारतीय शिक्षा परंपराओं से पर्याप्त प्राचीन हैं नालंदा तक्षशिला पाटलिपुत्र आदि विश्वविद्यालयों की ऐतिहासिक साक्ष्य आधारित है परंतु आधुनिक उच्च शिक्षा का स्वरूप काफी आवाचीन है इसका प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उचित शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त प्रगति हुई यह प्रगति भारत की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात से

में संतुलित नहीं है आज पर्याप्त विश्वविद्यालय खोलने पर एवं समृद्धि महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि होने पर भी उचित छात्रों को सुगमता से अपनी रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रवेश नहीं मिलता अंग्रेजों द्वारा निर्मित शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए समय-समय पर प्रत्न किए जाते रहे हैं गांधी जी द्वारा प्रस्तावित कोठारी कमीशन राधाकृष्णन कमीशन नई शिक्षा नीति आदि की अध्यक्षता में बने आयोगों और समितियों ने शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने के सुझाव प्रस्तुत किए।

कीवर्ड- शिक्षा,उच्च शिक्षा,गठित आयोग, नई शिक्षा नीति 2020

प्रस्तावना-

शिक्षा ही मानव जीवन को श्रेष्ठतम मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम एवं गहन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जब हम उच्चतम दृष्टिकोण से जानने, समझने एवं मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो पाते है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही मनुष्य अपने व्यवसाय या उद्योग का सफलतम मार्ग चयन करने में एवं सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सफल हो पाता है क्योंकि किसी भी देश की प्रगति का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण आधार उच्च शिक्षा ही है। उच्च शिक्षा ही मानव को अपने मूल्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिससे देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाने एवं भावी जीवन को सुदृढ़ मार्ग दर्शन प्रदान करने का कार्य कर सकता है तभी शिक्षा का सहा मूल्यांकन किया जा सकता है और देश का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है।

उच्च शिक्षा का मापन जब हम विश्व दृष्टिकोण से करते है तो देखते है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ही लोगों के विचारों, उनके परिवेशों, रहन सहन के स्तर तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रगति के आधार एवं मानव की संस्कृति में भी पारेवंजन आ जाता है के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में नये नये और तरीकों, सिद्धांतो और प्रगति के आधारों, उन्नतिशाल आयामों को अपनाकर स्वयं के विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी उत्थान का प्रयास करते हैं।

उच्च शिक्षा, शिक्षा की अन्तिम सोढ़ी है और इसके बाद कोई शिक्षा शेष नहीं रह जाती। उच्च शिक्षा के बाद ही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक रूप में प्रवेश करता है। उच्च शिक्षा ही जीवन के विकास को एक आधार प्रदान करती है। यह माना जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही उच्च शिक्षा का प्रारम्भ होता है जिसका आयोजन महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में किया जाता है इस दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा के अर्न्तगत उन सभी संस्थाओं को रखा जा सकता है जिसका कार्यक्रम माध्यमिक स्तर से अधिक विकसित है। उच्च शिक्षा का जो स्वरूप आज हमारे सामने हैं उसमें उच्चता का तात्पर्य माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा से ही होता है। उच्च शिक्षा की परिकल्पना भारतीय शिक्षा परम्परा में पर्याप्त प्राचीन है। नालन्दा, तक्षशिला, पाठपुत्र आदि विश्वविद्यालयों की एतिहासिकता साक्ष्याधारित है परन्तु आधुनिक उच्च शिक्ष का स्वरूप का दान है जिसका प्रारम्भ 18 वीं शताब्दी के उत्तराने से माना जा सकता है। पिछली दो शादियों में उच्च शिक्षा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुये फिर भी उसके मूलभूत प्रतिमान में कोई अन्तर नही आया।

उच्च शिक्षा का महत्व अपने आप में अत्याधिक उच्च शिक्षा पर ह सम्पूर्ण देश एवं विश्व का विकास निर्भर करता है। उच्च शिक्षा ही एक राष्ट्र के योग्य अध्यापक को चिकित्सक, वैज्ञानिक, इज्जीनियर एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले

प्रपन्न व्यक्ति प्रदान करती है। किसी देश में शिक्षा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इस बात का जानकारी उच्च शिक्षा से लगाया जा सकती है उच्च शिक्षा देश के विकास को एक आधार है. वर्तमान समय में उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि आज का युवायु माना जाता है और प्रत्येक तथ्य को वैज्ञानिक आधार पर सत्य प्रकरने के स्वाकार किया जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त प्रगति हुई यह प्रगति भारत की बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में संतुलित नहीं है। आज पर्याप्त विश्वविद्यालय खुलने पर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने पर भी इच्छुक छात्रों को सुगमता से अपनी रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रवेश नहीं मिलता है।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा यद्यपि व्यक्तिगत मूलभूत अधिकार है लेकिन वर्तमान समय के और आने वाले वर्षों में विज्ञान और तकनीकी बदलाव से युक्त समाज में सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा जीवन की सत्त चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रकार वर्तमान समाज के दोषों और कमियों के इलाज के रूप में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये। शिक्षा में विभिन्न उद्देश्यों के साथ, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण के साथ तालमेल होना चाहिये, इस प्रकार व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को शिक्षा द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

वर्तमान समय की विभिन्न आवश्यकताओं में शिक्षा के समक्ष रोजगार का ज्वलन्त प्रश्न है। वर्तमान समय में पूर्णरूप से स्पष्ट हो गया है कि पुरातन जीवन पद्धति तथा शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार वर्तमान समय के शैक्षिक अवसरों का विभाजन व्यक्तिगत और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में उच्च शिक्षा के स्तर पर अपव्यय की समस्या अत्यन्त गम्भीर है। औपचारिक शिक्षा की बदलती हुई कीमतें जिसमें भवन, शिक्षकों व प्रबन्धों के वेतन पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है। जिससे छात्र एवं अभिभावकों के समय एवं धन की बर्बादी होती है।

नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सभी योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से वंचित रह जाना पड़ता है। विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं मिल पाता है। अधिकाधिक स्नातक एवं उत्तर स्नातक नागरिक तैयार करने से देश का कल्याण होने की सम्भावना नहीं है। इस स्तर पर उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिये जो अच्छा एवं उच्च शैक्षिक स्तर उच्च शिक्षा के प्रति गहरी रूचि एवं क्षमता रखते हो। विश्वविद्यालय शिक्षा शोध एवं अनुसंधान का क्षेत्र है जिसे प्रत्येक विद्यार्थी नहीं कर पाता है अतः इस स्तर पर योग्यतम छात्रों को प्रवेश दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में अयोग्य छात्र प्रवेश पा जाते है और योग्य छात्र जो इस शिक्षा को पाने के अधिकारी... है प्रवेश से वंचित रह जाते है।

आज देश की वर्तमान प्रचालित शिक्षा पद्धति योग्यता एवं गुणों का मूल्यांकन कम करती है अपितु पुस्तकीय ज्ञान की परीक्षा करती है। शिक्षा के उद्देश्यों से दूर यह शिक्षा पद्धति मनुष्य का नहीं कुछ उपाधि युक्त लोगों का निर्माण कर रही है। जाकिर हुसैन के अनुसार, " प्रचालित शिक्षा प्रणाली न तो वर्तमान परिस्थितियों का हल करती है और न उसका कोई रचनात्मक तथा जीवनदायक महत्व ही है। "

अंग्रेजो द्वारा निर्मित शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिये समय-समय पर प्रयत्न किये जाते रहे है। गाँधी जी द्वारा प्रस्तावित वर्धा शिक्षण योजना, मुदालियर, कोठारी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, सम्पूर्णानन्द आदि की अध्यक्षता में बजे आयोगों और

समितियों ने शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने के सुझाव प्रस्तुत किये लेकिन इनके विचारों और सुझावों पर आश्वश्यकता के अनुरूप अमल नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल के बाद उच्च शिक्षा के विकास का स्वरूप-

शिक्षा मानव के सर्वोन्मुखी विकास का सर्वोतम साधन है। शिक्षा मनुष्य को अपने वातवरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने, स्वस्थ जीविकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट

मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है। प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति में जनता को शिक्षित होने से जहां तक और प्रजातंत्र को दृढ आधारशिला मिलती है, वही दूसरी और लोगों को अपने दायित्व को निर्वाह करने की सामर्थ्य भी प्राप्त होती है इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न योजना अवधियों में शैक्षिक सुविधाओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

शिक्षा ही मनुष्य की समस्त मानवीय गुणों से सुसम्पन्न करके अखिल विश्व के प्राणि मात्र में उसे गौरवपूर्ण उच्चतम शिखर क्षेणी पर आसीन कराती है। मानव के शारीरिक विकास के साथ-साथ शिक्षा का सशक्त माध्यम ही शनैः शनैः उस मानव को विकासोन्मुख प्रगति की ओर उत्तरोत्तर गतिमान करते हुये धैर्य, विवेक, सहनशीलता, सहिष्णुता, संस्किारिक सुसम्पन्नता, बौद्धिक और सामाजिक सगजता आदि ऐसे मानवोचित विशिष्ट गुणों से अलंकृत करते हुये एक दिन उसके स्वरूप को परिष्कृत करके उसे युगानुकूल समाज के परिवर्तित परिवेश में एक सुगम, सहज और सुखमय जीवन जीने की कला के निष्णात बनाकर मानव में महामानव की क्षेणी में पहुंचा देती है। इस कथन की सार्थकता के प्रमाण स्वरूप अतीत के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शिक्षा के प्रभाव प्रताप से अनेक महापुरुषों ने देश को समय समय पर प्रकारान्तर से कितने दुर्गम आशातीत, अप्रत्याशित लाभ देकर गौरवान्वित किया है। शिक्षा के सर्वागीण विवेचन से यह एक स्वयसिद्ध तथ्य है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति किन-किन अनेक रूपों के देश, प्रदेश और समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उसको और अधिक विश्लेषित करने से वह एक संरक्षक अथवा अभिभावक के रूप में अपने कुटुम्ब के लिये, एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में प्रजातान्त्रिक प्रशासन व्यवस्था के लिये एक सच्चे, समाजसेवी के रूप में समाज के लिये अथवा एक उद्बुद्ध नेता अथवा सजग प्रहरी या दिशादाता के रूप में सम्पूर्ण मानव समाज सहित निज देश प्रदेश से लेकर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर तक के लिये लाभ को स्रोत बन सकता है। इसी दृष्टिकोण के परिक्षेष्य में वर्तमान समय में देश-प्रदेश में सुनियोजित शैक्षिक विकास हेतु सुलभ वित्तीय संसाधनों का अनुपातिक दृष्टि से अधिकांश शिक्षा के लिये प्राविधानित किया जा रहा है देश के परिवर्तित परिवेश और वर्तमान सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओ / परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ शैक्षिक नीति में परिवर्तन एवं उन्नत परिवर्धन के लिये सत्त चिन्तन चल रहा है।

***ब्रिटिश काल के बाद उच्च शिक्षा के विकास के लिये गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा दिये कुछ सुझाव-**

राधाकृष्णन आयोग की मुख्य सिफारिशें :- आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगो के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये और उन में सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए जो इस प्रकार के है...

1. शिक्षा के लक्ष्य :

• लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना।

• आत्म-विश्वास के लिए प्रशिक्षण देना।

• वर्तमान और साथ ही अतीत की समझ विकसित करना।

• व्यावसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना।

• ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज क्षमता को जगाना।

• कुछ मूल्यों को विकसित करना जैसे- मन की निडरता, विवेक शक्ति और उद्देश्य की अखंडता।

• अपनी सांस्कृतिक विरासत के उत्थान के लिए विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना।

२. शिक्षण संकाय :

• आयोग के अनुसार शिक्षकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाए- प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता, और प्रशिक्षक।

• योग्यता के आधार पर ही एक श्रेणी से दूसरे में पद्दोनति की जाए।

• आयोग ने चारों श्रेनणयों के शिक्षकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर सेवा शर्तो

• जैसे- भविष्य निधि, आवासीय आवास, काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभ की सिफारिश की।

• शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए।

• शिक्षकों के अध्ययन के लिए एक बार में एक वर्ष का और सम्पूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए।

• सेवा से अवकाश की उम्र 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गयी।

३. शिक्षण का स्तर :

• विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे सम्बंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्यां नहीं होनी चाहिए।

• विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो १२ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं।

• कार्य दिवसों की संख्या- एक साल में 180 (परीक्षा के नदनों को छोड़कर)।

• अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

• सायंकालीन कक्षाओं का आरम्भ किया जाना चाहिए।

• परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीया श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमश 70, 55 और 40 प्रतिशद होने चाहिए।

4. विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त

• उच्च शिक्षा को समवर्ती सूचि में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए।

• शिक्षा से सम्बंधित नीतिया बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेंगी।

• विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनदुान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

5. विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन :

• उच्च शिक्षा तीन स्तरों पर आयोजित की जानी चाहिए - स्नातक (3 वर्ष), स्नातकोत्तर (2 वर्ष) और शोध (न्यूनतम 2 वर्ष)।

• उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए - कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी।

• कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए.

• कृषि, वाणिज्य, इंजिनीरिंग, प्रद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए ।

6. व्यावसायिक शिक्षा : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इसे छह श्रेणियों में बांटा है.

१. शिक्षक शिक्षा

२. कृषि शिक्षा

३. वाणिज्य शिक्षा

४. इंजिनीरिंग और तकनिकी शिक्षा

५. चिकित्सा शिक्षा तथा

६. क़ानूनी शिक्षा

सुझाव-

- समान पाठयक्रम के जरिए बालक-बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाय। दरअसल, समान पाठयक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है।
- 25 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों को 'व्यावसायिक स्कूल' में परिवर्तित कर दिया जाए।
- सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय। माध्यमिक स्तर (सेकेण्डरी लेवेल) पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाय।
- 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए
- 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए
- पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो
- विषय विभाजन कक्षा नौ के बदले कक्षा 10 के बाद हो
- उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हों
- माध्यमिक विद्यालय दो प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय।
- कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए

- शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्ययसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की।

कोठारी आयोग-

भारतीय शिक्षा क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई थी। कोठारी आयोग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसके उद्देश्य और 29 जून 1966 को प्रस्तुत महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में और जानें।

कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था।

1. कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था।
2. 29 जून 1966 को कोठारी आयोग भंग कर दिया गया।
3. इसका गठन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तत्कालीन अध्यक्ष थे।
4. कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत का छठा आयोग था, लेकिन यह भारत के शिक्षा क्षेत्र से व्यापक रूप से निपटने के लिए नियुक्त पहला आयोग था।
5. कोठारी आयोग में 20 सदस्यों का एक कोर ग्रुप था।
6. आयोग ने 20 विदेशी सलाहकारों के एक पैनल से परामर्श लिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, स्वीडन से थे। वे शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे।
7. कोठारी आयोग में 19 कार्य समूह या कार्य बल थे।
8. 21 महीनों की अवधि में, आयोग ने 9000 लोगों का साक्षात्कार लिया था जो विद्वान, शिक्षक और वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे।
9. यह रिपोर्ट कोठारी आयोग द्वारा 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम.सी.छागला को सौंपी गई थी।

कोठारी आयोग - 23 सिफ़ारिशें-

कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 23 सिफारिशें दी थीं। कोठारी आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें नीचे सूचीबद्ध हैं।

1. मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में खामियां
2. शिक्षा का उद्देश्य
3. शिक्षण के तरीके
4. पाठयपुस्तक
5. पाठ्यक्रम
6. शैक्षिक संरचनाएँ और मानक।
7. छात्रों का शारीरिक कल्याण

8. महिलाओं की शिक्षा
9. मार्गदर्शन एवं परामर्श
10. पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की समस्याएँ
11. त्रिभाषा सूत्र
12. दूरस्थ शिक्षा
13. चयनात्मक प्रवेश
14. व्यावसायिक शिक्षा
15. नैतिकता और धर्म पर शिक्षा
16. विश्वविद्यालय की स्वायत्तता
17. शिक्षक की शिक्षा
18. प्रौढ़ शिक्षा
19. विश्वविद्यालय - उद्देश्य, उद्देश्य और कार्य
20. प्रशासनिक समस्याएँ
21. कार्य अनुभव
22. उच्च शिक्षा - नामांकन
23. मूल्यांकन

कोठारी आयोग (1964-66) की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों पर संक्षिप्त विवरण

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान - 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई।

भाषाएँ - आयोग ने राज्य स्तर पर त्रि-भाषा फॉर्मूला अपनाने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की एक भाषा को हिंदी भाषी राज्यों में बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना था।

कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं, संस्कृत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, अधिमानतः अंग्रेजी को बढ़ावा देने की सिफारिश की।

कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा शर्तें प्रदान करने और उन्हें उन निष्कर्षों को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की।

1. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, कोठारी आयोग ने लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आदिवासी लोगों की शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
2. चूंकि विज्ञान और गणित किसी भी राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग हैं, इसलिए कोठारी आयोग ने गणित और विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की।

3. आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान, प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और धन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए सुधारों की सिफारिश की।

कोठारी आयोग की सिफ़ारिशों के परिणाम-

1. कोठारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 पैटर्न में संरेखित किया गया था।
2. कोठारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। यह विधेयक भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद में पारित किया गया था।
3. यह बताया गया है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (जो भारत के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बनाई गई थी) भी कोठारी आयोग की सिफारिशों से प्रभावित थी।
4. कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत में शिक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय निकायों, राज्य निकायों और केंद्रीय बोर्ड में विभाजित किया गया था।

राष्ट्रीय (नई) शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख बिंदु (उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में)

• समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि के तर्ज पर, मेरू नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयो की स्थापना की जाएगी।

• श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से, कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी।

• 2030 तक प्रत्येक जिले मे या उसके नज़दीक कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा।

• संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुंच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो।

• **नई शिक्षा नीति, 2020** में स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पुरा करने पर सर्टिफ़िकेट या 2 साल पुरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री।

• भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

• छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।

• वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा।

• **नई शिक्षा नीति, 2020** के तहत एक आईआईटीआई (*Indian Institute of Translation and Interpretation-IITI*) की स्थापना की जायेगी।

• शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किये जाएंगे।

• शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रोद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि वृहद स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक संदर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग से आंकलन किया गया हो।

• स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी।

निष्कर्ष-

यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी | इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें | इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे ; साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए | जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें |

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1.घोष, डी. के.;यूनीवर्सिटी सिस्टम इन इन्डिया जबलपुर, राहुल पब्लिकेशन, 1983.

2. श्रीवास्तव, आनन्द पी. पेथोलोजी ऑफ हायर एजूकेशन कानपुर, रिप्रिन्ट पब्लिशर्स (इन्डिया) 1979

3. दत्त यू. सी. एजूकेशनल सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दि इन्डियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, 1960

4. भटनागर, सुरेश कोठारी कमीशन, मेरठ, लायल बुक डिपो, 1975-76

5. पाठक, पी. डी. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1976.

6. प्रो. मदन मोहन व भारतीय शिक्षा का इतिहास और समस्याएं

7.डॉ. रस्तोगी, कृष्ण गोपाल भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन, 1985-86

8. गुप्त, रामबाबू भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं कानपुर, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, 1982-83

9. डॉ. अदावल, सुबोध भारतीय शिक्षा की समस्याएं तथा प्रवृत्तियां

उनियाल, माघवेन्द्र लखनऊ, उ०प्र० हिन्दी संस्थान, 1982

10. अग्रवाल, जे. सी. नई शिक्षा नीति, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 1986

11. पाठक, पी. डी. व भारतीय शिक्षा के आयोग एवं समितियां

त्यागी जी. एस. डी. आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 1982

12. ओड़, एल. के. शिक्षा के नूतन आयाम जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ आकादमी, 1990

13. डॉ. कुदेशिया, उमेश चन्द्र शिक्षा प्रशासन, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1990-91

14. मल्होत्रा पी. एल. व अन्य भारत में विद्यालयी शिक्षा वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएं

नई दिल्ली, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 1986

15. सारस्वत, एम. भारतीय शिक्षा का विकास, इलाहाबाद, कैलाश प्रकाशन, 1982

16. अल्टेकर, ए. एस. एजूकेशन इन एनशिएन्ट इन्डिया वाराणसी, नन्द किशोर एण्ड संस

17. शर्मा, ओम प्रकाश, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजूकेशन बोर्ड इन इन्डिया

नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाउस, 1991

18.https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

19. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020

20. Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India - The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.

21. Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teacher.

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-2, July-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number July-2023/02

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

संध्या यादव

for publication of research paper title

उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश काल और उसके बाद हुए उच्च शिक्षा का विकास

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-02, Month July, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com